ऑन लाईन नं. GCMS 2023/277

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 117/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री मलूकअली पुत्र श्री फरीद खॉ(विक्रेता व मालिक) मैसर्स मलूका पनीर हाउस, शॉप नं. 02, चहल चौक, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

दिनांकः 14.07.2025

निर्णय

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक सं./एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 18.08.2011 के द्वारा अधिकृत किया गया। एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर के आदेश कमांकः-संस्था/एफएसएसए/2021/258 दिनांक 10.08.2021 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया और श्रीगंगानगर जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में आते हैं। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.03.2022 को समय सुबह 11.00 बजे **मैसर्स मलूका पनीर हाउस, शॉप न.2, चहल चौक, श्रीगंगानगर** पर पहुंचे, मौके पर **श्री मलूक अली पुत्र श्री फरीद खॉ (विक्रेता व मालिक)** को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे सिल्वर केन **दूध** के बारे में जानकारी चाही, इस पर स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अंदर एक सिल्वर केन में 30 लीटर **गाय का दूध** को आमजन के बेचाने वास्ते होना बताया। **गाय का दूध** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **गाय का दूध** का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान ने व तात्कालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता को विकय हेतु उपलब्ध **गाय का दूध** 02 लीटर को साफ-सूथरे बर्तन में विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **गाय का दूध** का नगद भुगतान 70/- रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और तात्कालिन अधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **श्री मलूक अली** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री मलूक अली** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.) *

Scanned with OKEN Scanner

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गाय का दूध** को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चारों बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किए और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1454** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1454** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री मलूक अली** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./429/Act/2022/429 Dated 29.03.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1454 Sub-standard Food** होना पाया गया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के पत्रांक आयुक्त/खा. सु.औ.नि./स.सी/2023/3048 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवर पाल सिंह को प्रकरण संस्थित करने हेतु अधिकृत किया हुआ है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री मलूकअली पुत्र श्री फरीद खॉ(विक्रेता व मालिक) मैसर्स मलूका पनीर हाउस, शॉप नं. 02, चहल चौक, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **गाय का दूध** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.10.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 प्रकरण स. 117/23 में प्रार्थी की फर्म मलूका पनीर हाउस के संबंध में एक एफएसएसए 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(11) उलघान व धारा 51 अंतर्गत दिनांक 12.03.2022 को दोपहर 11 बजे प्रार्थी के प्रतिष्ठान मै. मलूका पनीर हाउस दुकान न. 2, चहल चौक, श्रीगंगानगर पर मलूक अली पुत्र श्री फरीद खान मौजूदा था एवं गाय का दूध बेचते हुए पाया गया एवं दुकान के अंदर सिल्वर केन के बर्तन में 30 किलो गाय का दूध मौजूदा था एवं अमानक सब स्टेंडर्ड फूड पाया गया। इसके उपरांत उपरोक्त विक्रेता पर एफएसएस 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) का उलंघ्घन पाया गया। उपरोक्त सारे प्रकरण में प्रार्थी निम्नप्रकार से है कि भविष्य में प्रार्थी उपरोक्त प्रकरण में जो भी गलतियां पाई गई है, उनको वापिस नहीं दोहयराएगा एवं नियमानुसार अपना जो भी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

सामान बेचता है उसमें किसी प्रकार की कमी/खामी नहीं होने देगा एवं जो भी धारा उपरोक्त संबंध में उसका पालन करेगा। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी का जवाब स्वीकार किया जाए। भविष्य में प्रार्थी विभाग के सभी नियमों का पालन करेगा।

राज पेशकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया गाय का दूध का सैम्पल **K-1454** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./429/Act/2022/429 Dated 29.03.2022 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि भविष्य में प्रार्थी उपरोक्त प्रकरण में जो भी गलतियां पाई गई है, उनको वापिस नहीं दोहयराएगा एवं नियमानुसार अपना जो भी सामान बेचता है उसमें किसी प्रकार की कमी/खामी नहीं होने देगा एवं जो भी धारा उपरोक्त संबंध में उसका पालन करेगा। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Cow Milk** bearing code No. K-1454 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as** it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री मलूकअली पुत्र श्री फरीद खॉ(विकेता व मालिक) मैसर्स मलूका पनीर हाउस, शॉप नं. 02, चहल चौक, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री मलूकअली पुत्र श्री फरीद खॉ(विकेता व मालिक) मैसर्स मलूका पनीर हाउस, शॉप नं. 02, चहल चौक, श्रीगंगानगर को राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner